जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 17-02-2021**

आज दिनांक 17.02.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

वाँछित गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 03/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम में प्रकाश में आये अभियुक्त नाम पता विजय नारायन गिरि पुत्र राजदेव गिरि निवासी पीठापुर थाना अहिरौली जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 01.01.2021 को महुली क्षेत्रान्तर्गत मुडियारी के पास से ट्रक में वध के लिए ले जाये जा रहे 15 राशि गोवंशीय पशुओं को मय ट्रक रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 50 T 0738 के साथ बरामद किया गया था अन्धेरे का फायदा उठाकर पशु तस्कर मौके से फरार हो गया था। फरार पशु तस्कर की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर तलाश की जा रही थी। जिसमें आज दिनांक 17.02.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तारी टीम –उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, का0 राजाराम।

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता जीतेन्द्र सिंह पुत्र ठाकुर सिंह निवासी बभनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरगनर को 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 70 / 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, हे0का0 राधेश्याम वर्मा।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 04 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता निरंजन लोहिया पुत्र धनश्याम निवासी गोलाबाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता सोमन पुत्र मो0 अली निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह मय हमराह ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता तिवारी पुत्र लक्ष्मी निवासी धनखिरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रणविजय सिंह मय हमराह ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता द्वारपाल पुत्र अशर्फी निवासी मरवटिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नत्थू प्रसाद मय हमराह ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1484 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल</u> – पीआरवी <u>1484</u> को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत लहुरा से इवेन्ट संख्या 10010 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में दो व्यक्तियो के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 07 मिनट में पहुंचकर घायल हुए व्यक्तियों को प्राइवेट वाहन से प्रा0 स्व0 केन्द्र मलौली पहुँचाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आरक्षी दिनेश यादव, मु0आ0 मनोज कुमार चौधरी, हो0चा0 मेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 43 वाहनो से 53200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 43 वाहनो से 53200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।